

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 672
दिनांक 06.02. 2024/17 माघ, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

दशकीय जनगणना

+672. श्री कुरुवा गोरान्तला माधव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने दशकीय जनगणना कराने के लिए समय-सीमा को अंतिम रूप दे दिया है,
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार का विचार जनगणना की गति, पहुंच और सटीकता में सुधार लाने के लिए किन्हीं नई प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वित करने का है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): जनगणना 2021 को कराने की सरकार की मंशा भारत के राजपत्र में 28 मार्च, 2019 को अधिसूचित की गई थी। सरकार ने जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत दो चरणों में जनगणना 2021 आयोजित करने का निर्णय लिया, अर्थात्, (क) अप्रैल-सितंबर, 2020 के दौरान मकान सूचीकरण और आवास जनगणना और (ख) 9 से 28 फरवरी, 2021 के दौरान जनसंख्या गणना। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण, जनगणना 2021 और संबंधित फील्ड गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया।

(ग) और (घ): आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी और इसमें स्व-गणना का प्रावधान है। आंकड़ों के एकीकरण के लिए मोबाइल ऐप और विभिन्न जनगणना संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक जनगणना पोर्टल विकसित किया गया है।
